

प्रेषक,
निदेशक,
पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०।

सेवा में,
जिला पंचायत राज अधिकारी
पार्श्वकित जनपद.....।

अलीगढ़
एटा
कासगंज
आगरा
फिरोजाबाद
मैनपुरी
आजमगढ़
कौशाम्बी
प्रतापगढ़
कानपुर न०
कानपुर दे०
फर्रुखाबाद
कन्नौज
गोरखपुर
महाराजगंज
महोबा
जालौन
ललितपुर
बाराबंकी
सुल्तानपुर
अमेठी
बरेली
बदयू
पीलीभीत
मेरठ
बुलन्दशहर
गाजियाबाद
हापुड़
सीतापुर
वाराणसी
गाजीपुर
मिर्जापुर
भदोही
सोनभद्र


संख्या:5/2205/2015-5/196/2014 लखनऊ दिनांक:21 सितम्बर, 2015
विषय:जनपदों में पंचायत उद्योगों द्वारा उत्पादित सेनेटरी नैपकीन के
ट्रेड मार्क के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या:5/2125/2015-5/
193/2014 दिनांक 10 सितम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,
जिसके द्वारा पंचायत उद्योगों के माध्यम से उत्पादित सेनेटरी नैपकीन के ट्रेड
मार्क में एकरुकता लाने हेतु पैकेट के रैपर पर ट्रेड मार्क "सुबह" के नाम से
निर्धारित किया गया है।

उक्त के संबंध में निर्णय लिया गया है कि सेनेटरी नैपकीन का ट्रेड मार्क
'सुबह' को संशोधित करते हुए "दिशा" के नाम से जाना एवं बेचा जाय। अतः
प्रबन्धक पंचायत उद्योगों को निर्देशित करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना
सुनिश्चित करें।

भवदीय


(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,

संख्या:5/2205/1/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित+

- 1-प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2-समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3-संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उ०प्र०।
- 4-समस्त व्यवस्थापक, पंचायत उद्योग, उ०प्र०।

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,